

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना - 800015

दूरभाष सं०:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611 / 2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 24.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 7,382 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया।

सुपौल जिला में ₹92,010/-, अररिया जिला में ₹55,000/-, दरभंगा जिला में ₹70,000/-, समस्तीपुर जिला में ₹1,36,600/-, बेगूसराय जिला में ₹5,25,000/- एवं बक्सर जिला में ₹87,990/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	4
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	8
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	2
Violation of Loudspeaker Act	1
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	2
Others	23
3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	18
No. of Explosives seized	88
No. of cartridges seized	46
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	1

No. of Licensed Arms verified	466
No. of Licensed Arms deposited	983
No. of Licensed Arms Cancelled	386
No. of non-bailable warrants executed	1163
Fine collected in vehicle checking	Rs. 21,56,419

4. मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तैयारियों की समीक्षा की गयी। इस बैठक में मुख्य सचिव द्वारा असमाजिक तत्वों के विरुद्ध की जाने वाली निरोधात्मक कार्रवाई, अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, अवैध शस्त्र जब्ती, वाहनों की आवश्यकता/उपलब्धता का आकलन से संबंधित बिन्दुओं की जिलावार समीक्षा की गयी तथा जिन जिलों के द्वारा अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी उन्हें इसकी नियमित समीक्षा करने तथा इसमें प्रगति लाने का सख्त निदेश दिया गया।

मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों/जिलों द्वारा की गयी कार्रवाई की भी समीक्षा की गई तथा उन्हें सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को न्यूनतम आवश्यक सुविधा यथा रैम्प (निर्धारित स्लोप को ध्यान में रखते हुये), पेयजल, पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था, बिजली (वैकल्पिक व्यवस्था के साथ) आदि की उपलब्धता की जिलावार समीक्षा की गई तथा इसे हर हाल में सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा भी आज सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तैयारियों की समीक्षा की गयी। इस बैठक में आदर्श आचार संहिता, विधि व्यवस्था, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण, स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आदि विषयों की विस्तार से समीक्षा की गयी।

5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभाकक्ष में आज दिनांक 24.09.2015 को बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन से संबंधित विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस बैठक में दिनांक 27-28 सितम्बर, 2015 को प्रस्तावित भारत निर्वाचन आयोग के बैठक के संदर्भ में राजनैतिक दलों से अपने सुझाव/ज्ञापन भी देने का अनुरोध किया गया है।
6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु

आज दिनांक 24.09.2015 को नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	कुल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	संवीक्षा के दौरान अस्वीकृत नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	विधिमान्य नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
समस्तीपुर	131- कल्याणपुर (अ0जा0)	15	0	15
	132- वारिसनगर	15	0	15
	133- समस्तीपुर	19	1	18
	134- उजियारपुर	14	0	14
	135- मोरवा	18	0	18
	136- सरायरंजन	16	3	13
	137- मोहिउद्दीननगर	18	0	18
	138- विभूतिपुर	9	0	9
	139- रोसड़ा (अ0जा0)	10	0	10
	140- हसनपुर	13	0	13
बेगूसराय	141- चेरिया बरियारपुर	10	0	10
	142- बछवाड़ा	10	0	10
	143- तेघड़ा	7	0	7
	144- मटिहानी	10	0	10
	145- साहेबपुर कमाल	13	1	12
	146- बेगूसराय	11	0	11
	147- बखरी (अ0जा0)	9	0	9
खगड़िया	148- अलौली (अ0जा0)	10	0	10
	149- खगड़िया	14	0	14
	150- बेलदौर	11	0	11
	151- परबत्ता	17	1	16
भागलपुर	152- बिहपुर	14	0	14
	153- गोपालपुर	12	0	12
	154- पीरपैती (अ0जा0)	13	2	11
	155- कहलगांव	13	0	13
	156- भागलपुर	14	2	12
	157- सुलतानगंज	13	0	13
	158- नाथनगर	14	1	13
बांका	159- अमरपुर	14	0	14

	160- धौरैया (अ0जा0)	8	0	8
	161- बांका	11	0	11
	162- कटोरिया(अ0ज0जा0)	9	0	9
	163- बेलहर	11	0	11
मुंगेर	164- तारापुर	15	1	14
	165- मुंगेर	14	0	14
	166- जमालपुर	13	0	13
लखीसराय	167- सूर्यगढ़ा	17	2	15
	168- लखीसराय	11	0	11
शेखपुरा	169- शेखपुरा	17	0	17
	170- बरबीघा	12	0	12
नवादा	235- रजौली (अ0जा0)	14	2	12
	236- हिसुआ	12	3	9
	237- नवादा	12	0	12
	238- गोबिन्दपुर	12	0	12
	239- वारसलीगंज	8	0	8
जमुई	240- सिकन्दरा (अ0जा0)	9	1	8
	241- जमुई	18	0	18
	242- झांझा	17	3	14
	243- चकाई	13	1	12
	कुल योग	629	24	605

इस प्रकार प्रथम चरण हेतु नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत विधिमान्य नाम-निर्देशन पत्रों की कुल संख्या 605 है।

३. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 24.09.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
कैमूर	203-रामगढ़	1
	204-मोहनिया (अ0जा0)	1
	205-भभुआ	2
	206-चैनपुर	3
रोहतास	208-सासाराम	1

	209-करगहर	1
	210-दिनारा	1
	211-नोखा	2
	212-डिहरी	3
अरवल	214-अरवल	3
जहानाबाद	216-जहानाबाद	1
	217-घोसी	2
	218-मखदुमपुर (अ0जा0)	1
औरंगाबाद	219-गोह	2
	220-ओबरा	2
	221-नवीनगर	4
	222-कुटुम्बा (अ0जा0)	3
	223-औरंगाबाद	4
	224-रफीगंज	2
गया	225-गुरुआ	1
	227-इमामगंज (अ0जा0)	2
	228-बाराचट्टी (अ0जा0)	1
	229-बोध गया (अ0जा0)	1
	230-गया टाउन	1
	232-बेलागंज	1
	233-अतरी	1
	234-वजीरगंज	1
कुल योग		48

इस प्रकार द्वितीय चरण हेतु आज तक कुल 110 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।
